



भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

Indian Academy of Highway Engineers

(Ministry of Road Transport and Highways, Govt. of India)

A-5, Institutional Area, Sector-62, NH-24 Bypass, Noida-201301, UP, India

Tel 0120-2400085-86, 2405006-9, Fax 2400087

Email: iahe.director@gmail.com, iahe.training@gmail.com

All communications to this office
should be addressed to the Director
by designation and not by name

आई0ए0एच0ई0 / प्रशि./01/प्रशिक्षण कैलेंडर/2016-2017

दिनांक 18.12.2015

विषय: आई0ए0एच0ई0 के वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के प्रशिक्षण शुल्क तथा अन्य व्यय।

महोदय/महोदया,

वर्तमान में भारतीय राजमार्ग अभियन्ता अकादमी के वार्षिक प्रशिक्षण कैलेंडर में वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभाग द्वारा नामित अधिकारियों से कोई प्रशिक्षण फीस नहीं ली जाती है। परन्तु आई0ए0एच0ई0 होस्टल में ठहरने एवं खाने का शुल्क 1500/- प्रति व्ययित प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाता है। प्रशिक्षणार्थियों का आने-जाने का व्यय तथा मंहगाई भत्ता नामित करने वाले सरकारी विभाग द्वारा देय होता है।

2. शासकीय निकाय के अनुमोदन से निम्नलिखित निर्णय लिया गया है :-

क केन्द्र और राज्य सरकार के विभागों सहित सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/ निगमों, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड, सभी राज्य सरकारों, सीमा सड़क संगठन और निजी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा नामित अधिकारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रमों के दौरान रहने खाने की व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाएगी।

ख आई0ए0एच0ई0 के द्वारा उपरोक्त प्रशिक्षणार्थियों का यात्रा भत्ता भी देय होगा। सभी प्रतिभागियों को अपने स्तर पर और अपने संगठन में पत्रता के बावजूद करीबी हवाईअड्डे से दिल्ली हवाईअड्डे तक अर्थव्यवस्था वर्ग में हवाई यात्रा की अनुमति होगी आई0ए0एच0ई0 टिकट के प्रस्तुतिकरण के आधार पर यात्रा के लिए किये गए व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी, अगर यात्रा विमान से की गई हो तो अवक यात्रा का बोडिंग पास जमा कराना होगा दुसरे साधन जैसे रेलवे/बस से यात्रा करने पर प्रतिभागियों को टिकट प्रस्तुत करना होगा एवं वास्तविक यात्रा व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी एयर इंडिया का एक्सप्रेस किराया प्रतिपूर्ति की ऊपरी सीमा होगी।

ग उपरोक्त के अलावा आई0ए0एच0ई0, प्रशिक्षणार्थियों द्वारा स्थानीय यात्रा नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन, अजमेरी गेट बस अड्डा, सराय काले खौं बस अड्डा, आनन्दविहार बस अड्डा, और (उनकी पोस्टिंग की जगह से) स्थानीय यात्रा वास्तविक व्यय रसीद जमा करने पर प्रतिपूर्ति की जाएगी उसकी ऊपरी सीमा 20/-रुपये प्रति किलोमीटर है।

घ आई0ए0एच0ई0 किसी भी प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण के दौरान मंहगाई भत्ता नहीं दिया जायेगा।

3. उपरोक्त व्यय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से प्रशिक्षण के लिए मिले पैसे में से किया जाएगा।

4. उपरोक्त निर्णय 1जनवरी 2016 से प्रशिक्षण में लागू होंगे। अतः यह निवेदन लिया जाता है कि अच्छी योजना के लिए बचे हुए वित्त वर्ष के लिए तिमाही अधार पर नामांकन एक साथ कम से कम एक माह पहले इमेल या डाक द्वारा आई0ए0एच0ई0 को भेजे जाए। यह भी निवेदन दिया जाता है कि यह सुचना पैरा दो में दिए गए सभी नामांकित अधिकारियों को दीजाए ताकि वे समय से अकादमी पहुँच कर अपने दस्तावेज जमा कर सकें।

यह निदेशक आई0ए0एच0ई0 के अनुमोदन से जारी किया गया।

भवदीय

आर. के. सिंह
(एम. रितेन कुमार सिंह)
संयुक्त निदेशक

संलग्नक: यथोपरी

सेवा में

1. महानिदेशक, (सड़क विकास) व विशेष सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
2. महानिदेशक, सीमा सड़क संगठन
3. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
4. डीजी.(वर्क्स) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग
5. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड
6. महानिदेशक, एन.आर.आर.डी.ए
7. प्रमुख सचिव / सचिव / प्रमुख अभियंता, सभी राज्य / केन्द्र शासित सरकार, उपलब्ध डाक सूची के अनुसार
8. मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय राजमार्ग) सभी राज्य / केन्द्र शासित सरकार, उपलब्ध डाक सूची के अनुसार
9. प्रबंध निदेशक, राइट्स लि0., गुडगाँव

प्रति:

1. सदस्य (प्रशासनिक), भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
2. सभी मुख्य अभियंता, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
3. महासचिव, भारतीय सड़क काँग्रेस (आई.आर.सी.)
4. क्षेत्रीय कार्यालय (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय)
5. सी.जी.एम (राजमार्ग) राइट्स

इस अनुरोध के साथ विभिन्न हितधारकों के बीच उपरोक्त विवरण प्रसारित करने की कृपया करें